IS 15700 : 2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 227वीं बैठक
दिनांक 20 फरवरी, 2014 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 227वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री एम.के.एस.सुन्दरम	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री आर.एन.मिश्र	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
4–	सुश्री नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
5–	श्री आर0एन0सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
6–	श्री सुभाष चन्द्र	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
7–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
8–	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
9–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
10–	श्री डी0आर0यादव	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष,ल0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
227/1	परिषद की 226वीं बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 226वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विचार–विमर्श किया गया। मद संख्या –25 पर लिये गये निर्णय में निम्नानुसार संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकारते हुये पुष्टि की गयी :– "परिषद की पूर्व में नीलामी एवं बल्क सेल के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों के विरूद्ध देय अवशेष किश्तों का आकलन करा लिया जाय तथा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार किश्तों की वसूली करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जाये। ऐसे भूखण्डों के विरूद्ध देय अवशेष के सम्बन्ध में आयुक्त स्तर पर निरन्तर समीक्षा कर आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय।
227/2	परिषद की 226वीं बैठक दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी।

भूमि अर्जन अनुभाग

227 / 3	परिषद द्वारा फिरोजाबाद शहर में भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4, फिरोजाबाद के संबंध में की किसानों की आपत्ति विषयक।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
227 / 4	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ में समाविष्ट ग्राम–कल्ली पश्चिम के काश्तकारों की अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
227 / 5	योजना संख्या–7, मेरठ में समाविष्ट खसरा संख्या–3947 से 3951 तक की भूमि रकबा 10–16–0 बीघा भूमि के संबंध में।	प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत जिला न्यायालय में लम्बित वादों में आवास एवं विकास परिषद के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी पैरवी करायी जाये तथा मा0 न्यायालय के जो भी आदेश हो उनका अनुपालन किया जाये।

लेखा अनुभाग

227 / 6	परिषद के वित्तीय वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
227 / 7	वित्तीय वर्ष 2013–14 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष–2014–15 के प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमान हेतु टिप्पणी।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

227 / 8	वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर परिषद कार्मिकों को दिनांक 14.01.2010 से अनुमन्य कराए गए पुनरीक्षित वेतन संरचना का वास्तविक लाभ दिनांक 01.01.2006 से अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।	परिषद 01 जनवरी 2006 से 13.1.2010 तक के एरियर को देने के लिए परिषद वित्तीय रूप से सक्षम है। अतः एरियर के भुगतान के संबंध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु कैबिनेट निर्णय हेतु विचलन का प्रस्ताव भेजा जाय।
227 / 9	श्री मथुरा प्रसाद, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ0एस0डी0 के पद पर लिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
227 / 10	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति अनुभाग

227 / 11	शासनादेश संख्या–2711 / आठ–1–05–34 विविध / 2003 दिनांक 21.05.2005 व शासनादेश संख्या–3907 / 8–3–2008–11 विविध / 2008 दिनांक 09.07.2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद द्वारा विकसित की जा रही विभिन्न योजनाओं में बल्क सेल के माध्यम से भूमि निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित एवं अनुमोदित किया गया।

समन्वय अनुभाग

227 / 12	श्रीमती रमा खरे, लेखाकार को उनके आश्रित पुत्री की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये जाने संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रशासन अनुभाग

227 / 13	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद कम्प्यूटर संवर्ग की सेवा विनियमावली के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त द्वारा एक समिति बनाकर, जिसमें सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की.संयुक्त निदेशक सुश्री नीरजा कृष्णा भी शामिल हों, प्रकरण का नियमानुसार विस्तृत परीक्षण करके अगली परिषद की बैठक में रखा जाये जिससे किसी प्रकार की विसंगति न उत्पन्न हो।
227 / 14	मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की मांग पर सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) सेवालाभ के अन्तर्गत रु0 2800.00 एवं रु04800.00 ग्रेड वेतन को संज्ञान में न लेते हुए (इग्नोर करते हुए) अगला ग्रेड वेतन रु0 4200.00 एवं रु0 5400.00 प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	उक्त प्रकरण शासन को संदर्भित कर मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाय।
227 / 15	परिषद के संकल्प संख्या 226 / 34 द्वारा राजकीय विभागों के लिए लागू किया गया लिपिकीय ढांचा निर्धारित किये जाने सम्बन्धी अंगीकृत शासनादेश संख्या वे0आ0–2–401 / दस–54 (एम) / 2008 टी0सी0 दिनांक 18, मार्च 2011 की व्यवस्थाओं को शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–44 / दस–54(एम) 2008 टी0सी0 दिनांक 17.01.2014 द्वारा संशोधित किये जाने के फलस्वरूप संशोधित शासनादेश अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेश इस शर्त के साथ अंगीकृत किया गया की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद परिषद में चूंकि सृजित नहीं है, अतः इन पदों हेतु शासनादेश को लागू न किया जाए।
227 / 16	वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक पद की सेवाविनियमावली के संबंध में।	नियमावली इस संशोधन के साथ अनुमोदित की गयी कि वास्तुविद

		नियोजक से, वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक पद हेतु न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव व वरिष्ठ वास्तुविद नियोजक से मुख्य वास्तुविद नियोजक हेतु न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा तथा नियमावली में पद के विरूद्ध वेतनमान भी अंकित कर दिया जाये।
227/17	नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की परिषद सेवाकाल में मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित सदस्य को क्षतिपूर्ति के आधार पर परिषद में सेवायोजित किये जाने के संबंध में।	सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु के अर्न्तगत उनके आश्रितों का नाम, शैक्षिक योग्यता आदि अंकित करके उनको मस्टररोल के पद पर सेवायोजन देने हेतु समेकित प्रस्ताव परिषद के समक्ष रखा जाये।
227/18	राज्य कर्मचारियों के लिए लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) व्यवस्था से परिषद के नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों को लाभान्वित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति अनुभाग

227/19	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में पंजीकृत आवेदकों को भूखण्ड आवंटन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त वैकल्पिक भूखण्ड नियमानुसार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
227/20	परिषद की मैनपुरी योजना में स्थित आवासीय भूखण्ड संख्या–3/119 के अनिर्माण शुल्क के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त अनिर्माण शुल्क इस शर्त के साथ माफ किये जाने का निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड पर आवंटी द्वारा अधिकतम 02 वर्ष में निर्माण करा लिया जायेगा।
227/21	वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित शैक्षिक भूखण्ड (डिग्री कालेज हेतु) संख्या–10A/DC–01 (डिग्री कालेज हेतु) के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त नियमानुसार परिवर्तन शुल्क की देयता के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
227/22	मंगल पाण्डे नगर योजना सं0–1, मेरठ में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या–84 के विरूद्ध देय अनिर्माण शुल्क माफ करने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त अनिर्माण शुल्क इस शर्त के साथ माफ किये जाने का निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड पर आवंटी द्वारा अधिकतम 01 वर्ष में निर्माण करा लिया जायेगा अन्यथा अनिर्माण शुल्क ब्याज सहित देय होगा।

भूमि अर्जन अनुभाग

227/23	परिषद की मझोला भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4 भाग–2 (विस्तार) दिल्ली रोड मुरादाबाद हेतु करार नियमावली 1997 के अन्तर्गत आपसी समझौते के आधार पर प्रतिकर दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित नये अधिनियम के सापेक्ष विधिक परीक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।
227/24	परिषद की अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड योजना लखनऊ के अन्तर्गत अधिग्रहीत ग्राम सरसवां, ग्राम हरिहरपुर, ग्राम अहनामऊ की भूमि डेन्जर जोन/फायरिंग रेंज के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में दायर रिट याचिका संख्या–07/एल0ए0/2012 भगवान दास बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में दायर रिट याचिका संख्या–6607/एम0बी0/2011 ब्रिगेडियर त्रिवेणी प्रसाद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य (पी0आई0एल0) में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अभियन्त्रण अनुभाग

227/25	लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु परिषद द्वारा रु0 200.00 करोड़ की धनराशि अनुदान के स्थान पर इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वास्तुकल एवं नियोजन अनुभाग

227/26	वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद स्थित भूखण्ड सं0–2बी/आई.एन.एस–3 का भू–उपयोग संस्थागत से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त नियमानुसार परिवर्तन शुल्क की देयता यदि हो तो उसके साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

227/27	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (मण्डोला विहार) में भूस्वामियों द्वारा धारा–28 से पूर्व एवं बाद में किये गये निर्माणों को अर्जनमुक्त किये जाने सम्बन्धित किसानों की मांग के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि किसानों की समायोजित की जाने वाली भूमि उनके स्वामित्व की भूमि से अधिक नही होगी।
227/28	इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर–6 में स्थित गाटा संख्या 594/3 क्षेत्रफल 0–6–10 बीघा (अर्थात 8695.12 वर्ग फुट) भूमि का असुधार/विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में।	विकास शुल्क की देयता के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

227 / 29	अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर–1 की लगभग 20 एकड़ भूमि पर अवध शिल्प ग्राम (लखनऊ हाट) का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा अग्रेतर कार्यवाही हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
227 / 30	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

आवास आयुक्त

अनुमोदित

24/2/15.

(सदाकान्त)

अध्यक्ष

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव